न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 221/2019(588/16)
GCMS No. : 2016/00041

प्रार्थी :–
1. तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. नारायण पुत्र जवान जाति– सरगरा
निवासी गरनिया तहसील जैतारण।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू –: 28.12.2016

उपस्थितः– 1. तहसीलदार, जैतारण, पैरोकार सरकार।
2. श्री राजेन्द्र कुमार गुर्जर, अधिवक्ता अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::– दिनॉक :– 04/01/2021

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी तहसीलदार, जैतारण के पद पर कार्यरत् है एवं सरकार के प्रतिनिधि के रुप में भूमिधारी है। अप्रार्थी की खातेदारी आराजी सरहद मौजा– गरनिया में आयी हुई है। जिसका खसरा नम्बर 146, रकबा 5–06 बीघा, किस्म– बारानी अव्वल, लगान 1.65 प्रतिवर्ष के हैं। उक्त भूमि कृषि योग्य है और अप्रार्थी ने कृषि प्रयोजनार्थ अर्थात कृषि कार्य हेतू विभिन्न खातेदारों से क्रय की गई थी। उक्त भूमि कृषि योग्य है इसका उपयोग केवल मात्र कृषि कार्य में ही करने के अप्रार्थी अधिकारी है। अप्रार्थी उक्त आराजी में से रकबा 2500 वर्ग फुट किस्म बारानी अव्वल पर कृषि से अकृषि कार्य मौके पर मोबाईल टॉवर लगाकर औधोगिक उपयोग किया जा रहा है और भूमि की कृषि कार्य की उपयोगिता समाप्त कर दी है। उक्त भूमि सरहद मौजा– गरनिया तहसील– जैतारण, खसरा नम्बर 146, रकबा 5–06 बीघा, किस्म– बारानी अव्वल, लगान 1.65 प्रतिवर्ष की आई हुई है। जो अदालत हाजा के क्षेत्राधिकार में है। प्रार्थी को अप्रार्थी द्वारा जमीन मुतनाजा का कृषि भिन्न कार्य (अकृषि कार्य) में उपयोग लेने की सूचना दिनांक 21.112012 प्राप्त होने पर अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

इस पर प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर वकालतनामा पेश हुआ जो सा0मि0 है। अप्रार्थी द्वारा जवाब कार्यवाही पेश किया जो सा0मि0 है। अप्रार्थी द्वारा जवाब कार्यवाही पेश में कथन किया कि ग्राम गरनिया में स्थित खसरा नम्बर 146 रकबा [illegible] बिस्वा के [illegible] रूपान्तरण हेतू मुझे प्रार्थी के नाम पट्टा बनाने हेतू नगरपालिका जैतारण में आवेदन [illegible] दिना[illegible] 23.12.2016 को प्रस्तुत किया था जिस पर मैने रसीद संख्या [illegible] बुक संख्या 157 [illegible]क 157 दिनांक 23.12.2016 को रूपये 4,000 व रसीद संख्या [illegible] बुक संख्या [illegible] दिनांक [illegible].03.2017 को 2323 रूपये नगरपालिका जैतारण में भूमि रूपान्तरण [illegible] जमा करवा दिये जिसकी रसीदें भी प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न है। नगरपालिका जैतारण द्वारा दैनिक समाचारन पत्रिका में प्रकाशित लोक सूचना के पूर्व भूमि रूपान्तरण के सम्बन्ध में तहसीलदार जैतारण को जरिये चालान कुल रूपान्तरण शुल्क का 40 प्रतिशत राशि रूपये 5588/– चालान संख्या 86 दिनांक 19.09.2017 के द्वारा 0029 भू राजस्व में जमा करवा चुके है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.01.07 18:05:21 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) जैतारण

आदेशार्थ एवं पत्रावली अग्रेषण हेतू सादर प्रस्तुत है। जिसकी रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90क के अन्तर्गत कृषि भूमि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण की देय राशि की गणना रिपोर्ट भी नगरपालिका जैतारण में प्रस्तुत की जा चुकी है। जिसकी एवं चालान की प्रति भी प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न है। इसलिए इस सम्बन्ध में श्रीमान्जी के समक्ष प्रस्तुत प्रकरण को खारिज करने की कृपा करावें। बहस सरकारी पैरोकार व वकील अप्रार्थी की सुनी गई।

पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा उक्त विवादित आराजी का रूपान्तरण करवाने हेतू नगरपालिका जैतारण में आवेदन प्रस्तुत किया है जिसकी रसीद संख्या 14 बुक संख्या 157 दिनांक 157 दिनांक 23.12.2016 को रूपये 4,000 व रसीद संख्या 41 बुक संख्या 159 दिनांक 17.03.2017 को 2323 रूपये नगरपालिका जैतारण में भूमि रूपान्तरण हेतू जमा करवा दिये। इस प्रकार नगरीय विकास एवं आवास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेशांक दव F 10 (147) UDH/3/2008 PART- III दिनांक 06.02.2017 के बिंदू संख्या 03(10) के अनुसार मोबाईल टॉवर अस्थाई प्रकृति की संरचना होनें से एवं दूरसंचार सेवा एक अत्यावश्यक प्रकृति की सेवा होने से इसकी स्थापना एवं परिचालन के लिए भूमि संपरिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। अतः तहसीलदार, जैतारण द्वारा ग्राम-निम्बेड तहसील-जैतारण के खसरा संख्या 146 के खातेदारान एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा, 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सारहीन होनें, विधि द्वारा बाधित होनें एवं संपरिवर्तन अपेक्षित नहीं होने से अस्वीकार/खारिज करना विधिसंगत है।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादी, तहसीलदार जैतारण द्वारा प्रस्तुत वाद अंतर्गत धारा-177, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बनाम प्रतिवादीगण सारहीन होनें, संपरिवर्तन अपेक्षित नहीं होनें एवं नगरीय विकास एवं आवास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेशांक F 10 (147) UDH/3/2008 PART- III दिनांक 06.02.2017 से बाधित होने से खारिज/अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
जैतारण (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 04/01/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jawahara Ram Choudhary
Date: 2021.01.07 18:05:21 IST
Reason: SelfAttested